




अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

भीमलाल बनाम भीमा (वर्ग)

फिरस मुकदमा प्रा.पत्र 111-128 नं० 118 सन 2020

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
17-7-20	बाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जायें। पत्रावली दिनांक 25-8-20 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल	
25-8-20	उभय पक्ष उपखण्ड अदालत अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 15-9-20 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
15-9-20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी गण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले शामिल पत्रावली दिया गया। अप्रार्थीगण को छिन्की बार आवाजे फिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं इसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही, वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर सम्मन से कम हो।  उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला मीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 118/20 प्रा.पत्र

1- श्री गोकुलात्म जलो श्री गोकुलात्म न्यायालय विवासी-चांदरास तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

1. श्री भीमाजो लाडु गुर्जर विवासी- मंगलपुरा तहसील- माण्डल
2. श्री रघुगज जलो प्रताप गुर्जर विवासी- मंगलपुरा तहसील- माण्डल
3. राजस्थान राज्य धरिए तहसीलपर माण्डल तहसील-माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 15.03.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मंगलपुरा पटवार हल्का चांदरास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 1786, 1786/1 कुल किता 02 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.07.20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मंगलपुरा पटवार हल्का चांदरास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1786, 1786/1 कुल किता 02 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक चांदरास 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा